R.M.M. Law College, Saharsa
LL.B. Part - IInd
Paper — Ist
Muslim Law.

संपत्ति की संरक्षकता

मुस्लिम विधि के अंतर्गत अवयस्क की सम्पत्ति की संरक्षकता को निम्नलिखित तीन भागों में वर्णन किया जा सकता है —
(1) नैसर्गिक या विधिक संरक्षक,
(2) न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक;
(3) वस्तुतः संरक्षक।

(1) नैसर्गिक या विधिक संरक्षक :- सम्पत्ति की संरक्षकता अवयस्क के पिता में निहित होती है। उसके रहते हुए कोई अन्य व्यक्ति अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक नहीं होता है। पिता के न रहने पर सुन्नी विधि के अनुसार अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक उसके द्वारा नियुक्त निष्पादक में निहित होता है। यदि पिता निष्पादक की नियुक्ति किये बगैर मर जाय और उसका पिता जीवित हो तो अवयस्क शिशुओं की सम्पत्ति की संरक्षकता पितामह में निहित होती हैं। यदि पितामह भी मर जाय और वह एक निष्पादक नियुक्त किये हो तो संरक्षकता पितामह के निष्पादक में निहित होती है। इस प्रकार सुन्नी विधि में निम्नलिखित व्यक्ति वरीयता क्रम में अवयस्क के सम्पत्ति के संरक्षक होते हैं :—

Scanned with CamScanner

(1) पिता
(2) पिता के वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक
(3) पिता के पिता,
(4) पिता के पिता के वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक

धारा विधि के अंतर्गत किसी अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक पिता होता है, यदि पितामह और इन दोनों में से जो बचा हो वह अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकता है।

ध्यान देने योग्य यह है कि संपत्ति की संरक्षकता उत्तराधिकार क्रम में आये सभी एक सम्बन्धी नातेदारों में, जैसा कि शरीर की संरक्षकता में होता है, निहित नहीं होती है और धारा विधि के अंतर्गत पिता द्वारा पितामह को वैध संरक्षक के कार्य करने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक या निष्पादक वसीयत द्वारा नियुक्त करने के हकदार जो व्यक्ति हैं, वे हैं पिता और पितामह अतएव माता चिता, भाई द्वारा या चाचा द्वारा नियुक्त निष्पादक किसी अवयस्क की सम्पत्ति का वैध संरक्षक या निष्पादक नहीं हो सकता है।

वसीयत संरक्षक :—

'वसीयत संरक्षक' से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो पिता या पितामह की वसीयत द्वारा अवयस्क के सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त किया गया है। पिता या पितामह की वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पक्ष पैतृक अवयस्क की सम्पत्ति का विधिक संरक्षक होता है।

Scanned with CamScanner

किंतु पिता या पितामह को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विपादक एक व्यक्ति को और संपत्ति का संरक्षक उसके को।"

(2) न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक :- यदि उपर्युक्त कोई संरक्षक नहीं हो तो न्यायालय किसी व्यक्ति को अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकता है।

(3) वस्तुतः संरक्षक :- वस्तुतः या "de facto" का अर्थ है, यथार्थ में और वस्तुतः संरक्षक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो न विधिक संरक्षक हो और न ही न्यायालय द्वारा नियुक्त फिर भी वह अवयस्क की सम्पत्ति का प्रबन्ध इस प्रकार करने लगता है मानो कि वह उसकी संरक्षक हो। विधि की दृष्टि से वह अवयस्क के सम्पत्ति का अभिरक्षक मात्र होता है। अवयस्क की माता, भ्राता, चाचा आदि वस्तुतः संरक्षक ही होते हैं जब कि पिता या पितामह की वसीयत द्वारा उन्हें निष्पादक न बनाया गया हो। वस्तुतः संरक्षक शब्द, विधिक संरक्षक के विलोम के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

मुफीजन सिद्दीक बनाम मुहम्मद कुंजन फारेख कुन्नी एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम अवयस्क की सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में कहा है कि पिता की अनुपस्थिति में अन्य विधिक रूप से मान्यता प्राप्त संरक्षक विक्रय करने के लिए सक्षम

(4)

परंतु पिता के मृत्यु के पश्चात न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त नहीं किया गया था तथा माता ने विक्रय सम्पत्ति का किया। उक्त विक्रय को अवैध इस आधार पर माना गया कि माता ने अवयस्क की सम्पत्ति विक्रय करने के पूर्व न्यायालय से अनुमति नहीं प्राप्त की थी। अतः विक्रय निरस्त किया गया।

Scanned with CamScanner